न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 44/2025(GCMS 2025/258)
(RTI No. 212001546581754)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह गांव 5 केएसडी, पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94619-41862)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष दिनांक 22.05.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी से उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिहनगर से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2025 से निम्न आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. प्रार्थी का जीवन सघर्षमय बीत रहा है। जीवन में कभी भी अप्रिय व दुःखद घटित हो चुकी है, वर्तमान में हो सकती है। तय समय में सूचनाएं चाही। सूचनाएं समय पर नहीं देने पर कभी ना पूरी होने हानि हो सकती है। इसका जनसूचना अधिकारी जिम्मेदार होगा। प्रार्थी की पीड़ा पर ध्यान कर 48 घन्टे में सूपनाए दिलवाने का कर्तव्य PIO पूर्ण करावे!
2. कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर क्रमाक न्याय शाखा 2019, 2191 दिनांक 01.08.2019 को ग्राम पंचायत मोकमवाला की चक 5केएसडी की वाटर वर्कस की भूमि पर से अतिक्रमण हटवाने का आदेश दिया तहसीलदार राजस्य रायसिंहनगर को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर अतिक्रमण हटवाने के दिये गए आदेश की न्याय शाखा उपखण्ड कार्यालय से प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
3. बिन्दू दो के आदेश अतिक्रमण हट[illegible] [illegible]पालना दिनांक 01.08.2019 से आज दिनांक तक [illegible] लेखकों के पदनाम की प्रमाणित दस्तावेज की सूची मय सील सहित चाही है।
4. कार्यालय उपरखण्ड मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर वाटर वर्क्स की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के आदेश के सम्बन्ध समस्त पत्रावली के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दस्तावेज व पत्रावली को रक्षित करने वाले लोक सेवकों के पदनाम की सूची प्रमाणित चाही है।

5. बिन्दू चार के अनुसार वाटर वर्क्स की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के आदेश दिनांक 01.08.2019 से न्याय शाखा उपखण्ड कार्यालय रायसिंहनगर में रमेश फूलिया बाबू के बाद से आज दिनांक तक कार्यरत बाबुओं (क्लर्क) कम्र्चारी के पद नाम की सूची चाही है।
6. बिन्दू दो के अनुसार आदेशों व पत्रावली को रक्षित (संधारित) नहीं करने वाले दोषी लोकसेवकों के पदनाम की सूची चाही है।
7. बिन्दु दो के भनुमार आदेश प पत्रावली सरकारी सम्पत्ति रिकॉर्ड दस्तावेज नुकसान पहुंचाने वाले लोक सेवकों के पदनाम की सूची चाही है।
8. प्रार्थी ने आईपीओ क्रमाक 63F940974 भेज रहा हूँ P10 भरकर भुगतान कर लेवें प्रार्थी मुकन्द सिंह पूर्ण सहमति देता है।
9. ऊपर चाही गई सूचनाएं की सुविधा के लिए प्रार्थी आदेश की फोटो कॉपी संलग्न कर रहा है।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सू.का.अ./2025/344 दिनांक 28.05.2025 से अपीलार्थी को अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

क्र. सं.	आवेदन में चाही गई सूचना	प्रतिउत्तर
1	प्रार्थी का जीवन सघर्षमय बीत रहा है। जीवन में कभी भी अप्रिय व दुःखद घटित हो चुकी है, वर्तमान में हो सकती है। तय समय में सूचनाएं चाही। सूचनाएं समय पर नहीं देने पर कभी ना पूरी होने हानि हो सकती है। इसका जनसूचना अधिकारी जिम्मेदार होगा। प्रार्थी की पीड़ा पर ध्यान कर 48 घन्टे में सूपनाए दिलवाने का कर्तव्य PIO पूर्ण करावे।	राजस्थान सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री इनमें ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र नमूने, मॉडल आंकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना [illegible] नहीं है।
2	कार्यालय उपखण्ड मजि[illegible] रायसिंहनगर क्रमांक [illegible] 2019, 2191 दि[illegible] 01.08.2019 को ग्राम पंचायत मोकमवाला की चक 5केएसडी की वाटर वर्कस की भूमि पर से अतिक्रमण हटवाने का आदेश दिया तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को मौका	वा[illegible] दस्तावेज प्रमाणित प्रति [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 44 / 2025
(GCMS No. 2025/258)
(RTI No. : 212001546581754)

	मजिस्ट्रेट नियुक्त कर अतिक्रमण हटवाने के दिये गए आदेश की न्याय शाखा उपखण्ड कार्यालय से प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	
3	बिन्दू दो के आदेश अतिक्रमण हटवाने की पालना दिनांक 01.08.2019 से आज दिनांक तक करने वाले लोक सेवकों के पदनाम की प्रमाणित दस्तावेज की सूची मय सील सहित चाही है।	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
4	कार्यालय उपरखण्ड मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर वाटर वर्क्स की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के आदेश के सम्बन्ध समस्त पत्रावली के दस्तावेज व पत्रावली को रक्षित करने वाले लोक सेवकों के पदनाम की सूची प्रमाणित चाही है।	वांछित दस्तावेज प्रमाणित प्रति संलग्न है। अन्य रिकॉर्ड हेतु आपके द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण संख्या, अनवान्, पत्र क्रमांक मय दिनांक उपलब्ध करवाने पर नियमानुसार देय सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।
5	बिन्दू चार के अनुसार वाटर वर्क्स की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के आदेश दिनांक 01.08.2019 से न्याय शाखा उपखण्ड कार्यालय रायसिंहनगर में रमेश फूलिया बाबू के बाद से आज दिनांक तक कार्यरत बाबुओं (क्लर्क) कम्रचारी के पद नाम की सूची चाही है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
6	बिन्दू दो के अनुसार आदेशों व पत्रावली को रक्षित (संधारित) नहीं करने वाले दोषी लोकसेवकों के पदनाम की सूची चाही है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
7	बिन्दु दो के भनुमार आदेश प पत्रावली सरकारी सम्पत्ति रिकॉर्ड दस्तावेज नुकसान पहुंचाने वाले लोक सेवकों के पदनाम की सूची चाही है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
8	प्रार्थी ने आईपीओ क्रमाक 63F940974 भेज रहा हूं P10 भरकर भुगतान कर लेवें प्रार्थी मुकन्द सिंह पूर्ण [illegible]	बिन्दु संख्या 1 अनुसार
9	ऊपर चाही गई सूचनाएं की सुविधा के लिए प्रार्थी आदेश की फोटो कॉपी संलग्न कर रहा है।	बिन्दु संख्या 1 अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने **पत्रांक 344 दिनांक 28.05.2025 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर** द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर** को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 04 से सम्बन्धित रिकॉर्ड का अपीलार्थी को अवलोकन करवा देवें और अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उसके द्वारा वांछित सूचना उसे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,** रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर